


परिपत्रविषय:- सरकारी कामकाज में मूल रूप से हिन्दी में टिप्पण करने के लिए
मासिक पुरस्कार योजना।

ईआरनेट इंडिया में राजभाषा हिन्दी को बढ़ावा दिये जाने के अथक प्रयासों के क्रम में कार्यालय में राजभाषा हिन्दी मासिक पुरस्कार योजना मार्च, 2021 से लागू की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक माह की समाप्ति के पश्चात फाइलों/ई-ऑफिस पर हिन्दी में सर्वाधिक नोटिंग करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को पुरस्कार देने का प्रावधान किया गया है। इस योजना में कार्यालय के वे सभी अधिकारी/कर्मचारी भाग ले सकेंगे जो फाइलों पर स्वयं हाथ से/टाइपिंग करके हिन्दी में नोटिंग करते हैं तथा जिनके द्वारा हिन्दी में की गई नोटिंग की संख्या कम से कम 2,000 शब्द है। पुरस्कार राशि और संख्या निम्नलिखित है :-

पुरस्कार संख्या
5

पुरस्कार राशि
प्रत्येक 500/- रुपये एवं एक हिन्दी की पुस्तक

2. प्रत्येक विभाग से एक माह में केवल एक अधिकारी/कर्मचारी पुरस्कार प्राप्त करने के योग्य होगा तथा प्रत्येक कर्मचारी वर्ष में केवल 4 पुरस्कार प्राप्त करने के योग्य होगा।
3. ईआरनेट इंडिया के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों से अनुरोध है कि वे अपने द्वारा हिन्दी में किए गए कार्य का ब्यौरा संलग्न प्रपत्र में भरकर अपने प्रभाग प्रमुख के माध्यम से कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक के पास माह समाप्त होने के बाद अधिक से अधिक 10 दिन के भीतर अवश्य भेज दें। पत्र के साथ निर्धारित प्रोफॉर्मा भी संलग्न किया जा रहा है।



(अरुण कुमार सिंह)

रजिस्ट्रार एवं निदेशक
कार्मिक एवं प्रशासन

सेवा में

समस्त अधिकारी/कर्मचारी गण

ईआरनेट इंडिया

मासिक पुरस्कार योजना हेतु प्रपत्र

श्री/श्रीमती/कुमारी..... कामाह
के दौरान फाइलों/ई-ऑफिस पर मूल रूप से हिन्दी में नोटिंग करने का विवरण :

क्रम संख्या	दिनांक	कुल फाइलों की संख्या जिनमें हिन्दी में नोटिंग की गई	हिन्दी में की गई नोटिंग की शब्द संख्या	प्रभाग प्रमुख के हस्ताक्षर


ईआई-डी/पी व ए/18-539/15

ईआरनेट इंडिया

शुद्धि पत्र

दिनांक: 01.03.2021

राजभाषा हिंदी को बढ़ावा देने के लिए दिनांक 23.02.2021 को जारी मासिक पुरस्कार योजना संबंधी परिपत्र में आंशिक संशोधन करते हुए, अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा हिन्दी में किए गए कार्यों की गणना में डायरी/रजिस्टर/फाइल पर हिन्दी में लिखे/टाइप किए जाने वाले कार्यों को भी शामिल किया जाएगा, ताकि राजभाषा हिंदी में किए जाने वाले कार्यों को कार्य के सभी स्तरों पर प्रोत्साहित किया जा सके।


(अरुण कुमार सिंह)

रजिस्ट्रार एवं निदेशक
कार्मिक एवं प्रशासन

सेवा में

समस्त अधिकारी/कर्मचारी गण

ईआरनेट इंडिया